

इन्टरशिप हेतु दिशा निर्देश

1. आशार्थी उनको कार्यालय/संस्थान आवंटन के पश्चात् तुरन्त संबंधित कार्यालय/संस्थान में उपस्थित होकर ज्वाइनिंग देवे एवं ज्वाइनिंग के पश्चात् संबंधित कार्यालय/संस्थान से निर्धारित प्रारूप में इन्टरशिप ज्वाइनिंग प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड करें।
2. आशार्थी प्रत्येक माह का उपस्थिति प्रमाण पत्र इन्टरशिप कराने वाले कार्यालय/संस्थान से माह समाप्ति के पश्चात् 01 तारीख से 05 तारीख के मध्य निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से पोर्टल पर आवश्यक रूप से अपलोड करें।
3. उक्त दोनो प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय/संस्थान से डिस्पेच होना आवश्यक है। डिस्पेच नंबर अंकित नहीं होने की दशा में प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
4. बेरोजगारी भत्ते की राशि का भुगतान आशार्थी की ज्वाइनिंग दिनांक से ही देय होगा।
5. योजनान्तर्गत आशार्थी उनको आवंटित कार्यालय/संस्थान में इन्टरशिप हेतु प्रतिदिन 04 घंटे उपस्थित रहकर संस्था प्रधान द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।
6. योजनान्तर्गत आशार्थी को माह में 01 दिवस स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने की छूट है एवं इस 01 दिवस का भत्ता नहीं काटा जायेगा।

जिला रोजगार अधिकारी
जिला रोजगार कार्यालय
झालावाड़

प्रारूप

कार्यालय/संस्थान का नाम:—.....

इन्टर्नशिप ज्वाइनिंग प्रमाण पत्र

क्रमांक:—

दिनांक:—

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी सुश्री/श्री/श्रीमती.....
पिता/पति का नाम श्री.....निवासी.....
तहसील.....विधानसभा क्षेत्र.....जिला.....
रोजगार कार्यालय पंजीयन संख्या.....ने दिनांक.....
को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना-2021 के अन्तर्गत इस कार्यालय/संस्थान में उपस्थित
होकर इन्टर्नशिप हेतु अपनी प्रथम ज्वाइनिंग दी है।

हस्ताक्षर
कार्यालयाध्यक्ष की मोहर

प्रारूप

कार्यालय का नाम:—.....

माह.....

इन्टर्नशिप उपस्थिति प्रमाण पत्र

क्रमांक:—

दिनांक:—

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी सुश्री/श्री/श्रीमती.....
पिता/पति का नाम श्री.....निवासी.....
तहसील.....विधानसभा क्षेत्र.....जिला.....
रोजगार कार्यालय पंजीयन संख्या.....ने दिनांक.....
से दिनांक.....तक इस कार्यालय/संस्थान में उपस्थित होकर कार्यानुभव
सीखने हेतु इन्टर्नशिप की है। ये इस माह में कुलदिन उपस्थित (राजपत्रित
अवकाशों को शामिल करते हुए) तथादिन अनुपस्थित (01 दिवस की अनुपस्थिति
को छोड़ते हुए) रहे।

यह प्रमाण पत्र केवल बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए ही मान्य है। इसके आधार पर
अन्य किसी नौकरी में प्राथमिकता अथवा श्रम या अन्य कानूनों के अन्तर्गत दावा/क्लेम
स्वीकार नहीं किया जायेगा।

हस्ताक्षर
कार्यालयाध्यक्ष की मोहर